## कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

पत्राक-/जुल्हालस्तुल मान्यता/ 3279-84

/2018-19

विनांक 28.06.2018

प्रवंचव

श्री घुन्न सिंह किइस इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल

विकाराखण्ड झीझक कानपुर देहात।

द्वारा संवालित संस्था – ठा० घुन्नू सिंह गौर शिक्षण संस्थान कस्या पो० झींझक कानपुर देहात । विषय – नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनेयम 2009 की धारा 18कें प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय

शासनादेस सं0- 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणोंपरान्त उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 को लिये गये निर्णय के आधार पर श्री धुन्मू सिंह किड्स इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल विकासखण्ड झींझक कानपुर देहात की 2018-19 से तीन शैक्षिक सन्न हेतु कहा। प्री से कहा। 8 तक के लिये अनितम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है। उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

ा विद्यालय का संचालन अग्निशमन का पूर्णता प्रमाणपत्र/स्थायी प्रमाण पत्र एवं वार्षिक नवीनीकरण प्राप्त करने के उपरान्त ही किया

जाये अन्यथा असुरक्षित भवन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु अवैधानिक होगा।

2 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता नहीं है।

उ विद्यालय निशुक्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) निशुक्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का

अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

4 विद्यालय प्रारंभिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें नि.शुक्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा। 5 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा—12 की उपधारा(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिभृतियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

6 सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को

किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।

7 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहोंने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपवंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित स्निश्चित करेगा-

क. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्चप्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

ख. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यद्यीन नहीं करेगा।

ग. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

घ. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसारएक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

ड अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि.सत्यता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

च अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायेंनही है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

छ, अध्यापक अधिनियम की घारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं किसी को किसी निजी अध्यापन किया कलापों मेंनियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समृचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

9.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है।

कम संव	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधार्थे	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	1730.00 वर्ग मीटर
2	मुल निर्मित क्षेत्र	2231 वर्ग मीटर
3	कीडारधल का क्षेत्रफल	
4	कक्षाओं की संख्या	09
5	प्राच्यापक सह कार्यालय सह भण्डारागार के लिये कक्ष	03
6	बालक / बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	02/02
7	पेयजल सुविधा	सबमसिंवल उपलब्ध है।
8	बाचारहित पहुँच	उपलब्ध है।
9	अध्यापक पटन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुरतकालयों की उपलब्धता	उपलब्ध है।



विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी ।

विद्यालय भवनों या सरचनाओं या कीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

2- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या सगम या किसी अन्य व्यवितयों के लाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

14- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा संप्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित

14— विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा सप्राक्षा को जाना चाहिय। आर उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिय (प्रमाणित किया जाना चाहिय) प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये।प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को मेजी जानी चाहिये।

16— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो,और समुचित सरकार / रथानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

17- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

18- सलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

19— विद्यालय में शिक्षण कार्य टी०ई०टी० उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाय, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये यह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

> (संगीता सिंह) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।

पृ०सं० / जू०हा०स्कूल०मान्यता / 3279-84 /2018-19 तद्दिनांक। प्रतिलिपि-निम्नोंकित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु ग्रेषित:-

शिक्षा निदेशक (वै०)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वे0) कानपुर मण्डल कानपुर।

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।

5- अत्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।

6- पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।

7-- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।

8- कार्यालय प्रति।

जिला बेखिक शिक्षा अधिकारी 2 काजपुर देहात।